

300



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र० क्र०1 / निगरानी / टीकमगढ़ / भू-राजस्व / 2017 / 2932

द्वारा जोज दि

प्रस्तुत 29-8-17

के

29-8-17

29-8-17

29-8-17

1. छिदामी तनय लम्पुवा उर्फ लम्पू लोधी
2. गनपत तनय लम्पुवा उर्फ लम्पू लोधी निवासीयान गरौली, तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

— निगरानीकर्तागण

बनाम

1. महिला भुमानी बाई पुत्री लम्पुवा उर्फ लम्पू लोधी एवं पत्नी कल्ला लोधी निवासी: नयागॉव (नया खेरा), तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. म. प्र. शासन

— प्रतिनिगरांकारगण

पुनरीक्षण (निगरानी) अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 27.07.2017 को प्रकरण क्र० 63/अपील/2016-17 भुमानी बाई पुत्री लम्पुवा लोधी बनाम छिदामी तनय लम्पुवा उर्फ लम्पू लोधी वगैरह निवासी ग्राम गरौली, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), में अवैध व अनियमित ढंग से धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर लिया गया ।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न हैं :-

- (1) यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 अवैध, अनियमित, गैर कानूनी एवं सम्बन्धित पत्रावली के वास्तविक तथ्यों के बिल्कुल ही विपरीत होने के कारण माननीय न्यायालय श्रीमान् द्वारा विचार योग्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है ।

- (2) यह कि, विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) नायब तहसीलदार वृत्त डारगुवां के प्रकरण क्रमांक 51/अ-6/2015-16 में उपरोक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2932

छिदामी विरूद्ध भुमानी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 63/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019</p>

3

1